फर्द अहकाम

(नियम (28))

अज अदालत ......उपखण्ड अधिकारी...... सिकराय ..(दौसा)..........

~~सरकार~~ सिवलाल बनाम भरोसी ....

किस्म मुकदमा ....188 RTA........ मु0 नं0 ....42/13........

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1.10.24	पत्रावली पेश। बहस दावा सुनी गयी। निर्णय हेतु पत्रावली दि. 12.10.24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
12.10.24	पत्रावली पेश। समयाभाव के कारण निर्णय नहीं लिखाया जा सका। निर्णय हेतु पत्रावली 1-11-24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
1-11-24	पत्रावली निर्णय हेतु पेश। उभय पक्ष की बहस के तथ्यों पर गौर किया गया। वाद अनुसार वादी शिवलाल ग्राम पाड़ली के खाता सं. 255/229 की 2.71 है. पर खातेदार की हैसियत से स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहता है। जवाब प्रतिवादीगण अनुसार प्रतिवादीगण उक्त खाता के ख.नं. 248 व 251 पर जरिये बेचनामा काबिज काश्त है। दि. 7.9.20 को तनकी बनाकर विवादित की गयी। वादी के शपथ पत्र पर दि. 31.3.24 को प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा जिरह की गयी। उक्त जिरह में मुख्य विवाद ख.नं. 248 व 251 बाबत होने का कथन किया गया है। प्रतिवादी पक्ष अनुसार सं. 2025 में वादी के पिता ने प्रतिवादीगण को ख.नं. 248 व 251 की भूमि को 150 रु में बेचान किया था। प्रतिवादी पक्ष द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य व दस्तावेज पेश नहीं किया गया। अतः तनकी सं. 2 के विवेचन की यहाँ आवश्यकता ही नहीं है। वादी खाता सं. 248 व 251 की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादीगण के हस्तक्षेप के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहता है जो विधि संगत है। अतः ग्राम पाड़ली के खाता सं. 255/229 में, वादी की खातेदारी भूमि पर, प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादी को जबरन बेदखल नहीं करें।	

आदेश अनुसार डिक्री व तहरीर जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार हो।

(हस्ताक्षर)
(रणजीत सिंह)
1-11-24